न्यूज़ टुडे

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने 18वीं लोक सभा को अपनी रिपोर्ट सौंपी

इस रिपोर्ट में OBC से संबंधित **क्रीमी लेयर की स्थिति से जुड़े मुद्दों की जांच** की गई है तथा **क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा बढ़ाने** की सिफारिश की गई है।

क्रीमी लेयर के बारे में

- क्रीमी लेयर का विचार **1992 में इंद्रा साहनी मामले** से उत्पन्न हुआ था। **क्रीमी लेयर से आशय OBCs के तहत सामाजिक-आर्थिक रूप से अधिक उन्नत वर्ग** से है।
  - इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने **सिविल पदों पर क्रीमी लेयर को बाहर रखते हुए OBCs के लिए 27% आरक्षण को बरकरार** रखा था।
- इस फैसले के बाद गठित **राम नंदन प्रसाद समिति के आधार पर क्रीमी लेयर में दो श्रेणियां बनाई गईं:**
  - **वे लोग जिनके माता-पिता किसी विशेष श्रेणी की सरकारी सेवाओं में हैं/ थे, और**
  - **वे लोग जो एक निश्चित आय सीमा से अधिक कमाते हैं।**
    - वर्ष 2017 में आय की सीमा **बढ़ाकर 8 लाख रुपये** कर दी गई है।

समिति की मुख्य टिप्पणियां

- **क्रीमी लेयर संबंधी मानदंड:** कुछ राज्यों में क्रीमी लेयर की स्थिति निर्धारित करने के लिए आय/ संपत्ति परीक्षण लागू करते समय एक-समान मानदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है।
  - **सिफारिश:** राज्यों को क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिए एक-समान नियम को अपनाना चाहिए।
- **क्रीमी लेयर में आय सीमा की समीक्षा:** क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिए 8 लाख रुपये की मौजूदा आय सीमा कम है, जिससे OBCs का **एक बड़ा हिस्सा आरक्षण के लाभ से वंचित** रह जाता है।
  - **सिफारिश:** हितधारकों के साथ परामर्श के बाद पर्याप्त रूप से आय सीमा में वृद्धि की जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के पुलिस बल से गिरफ्तारी करते समय निर्धारित मानदंडों का पालन करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले **सोमनाथ बनाम महाराष्ट्र राज्य (2023)** का हवाला देते हुए यह स्पष्ट किया कि सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को गिरफ्तारी और हिरासत प्रक्रियाओं के दौरान संवैधानिक एवं वैधानिक सुरक्षा मानकों का पालन करना चाहिए।

- सोमनाथ मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने **डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) के मामले** में दिए गए निर्देशों और सिद्धांतों को दोहराया था।

डी.के. बसु मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश

- **सही पहचान:** गिरफ्तारी करने वाले अधिकारियों को अपने **पदनाम सहित स्पष्ट पहचान और नाम संबंधी बैज धारण करना अनिवार्य है।**
- **अनिवार्य ज्ञापन:** गिरफ्तारी के समय एक ज्ञापन तैयार किया जाना अनिवार्य है। इसमें गिरफ्तारी का समय और तारीख उल्लेखित होने चाहिए, जो **कम-से-कम एक गवाह द्वारा सत्यापित एवं गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।**
- **किसी रिश्तेदार/ मित्र को सूचित करना:** व्यक्ति की गिरफ्तारी के बारे में यथाशीघ्र किसी एक मित्र/ रिश्तेदार को सूचित करना होगा।
- **निरीक्षण ज्ञापन:** गिरफ्तार व्यक्ति की **गिरफ्तारी के समय जांच** की जानी चाहिए और किसी भी चोट को **निरीक्षण ज्ञापन में दर्ज** किया जाना चाहिए।
- **चिकित्सा परीक्षण:** हिरासत के दौरान **हर 48 घंटे में गिरफ्तार व्यक्ति का चिकित्सा परीक्षण** किया जाना चाहिए।
- **वकील का अधिकार:** पूछताछ के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति को अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जा सकती है।

गिरफ्तार व्यक्तियों के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपाय

- **संवैधानिक:** अनुच्छेद 22 गिरफ्तार या हिरासत में भी **व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा** करता है।
- **कानूनी:** हिरासत के दौरान **जबरन अपराध स्वीकार करवाने के लिए चोट पहुंचाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 330 और 331 में सजा** का प्रावधान किया गया है।
  - **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 196** हिरासत में मौत के मामले में **मजिस्ट्रेट द्वारा जांच** का प्रावधान करती है।
- **अन्य:** NHRC दिशा-निर्देश 1993, सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा आदि।

भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि 'नई विश्व व्यवस्था क्षेत्रीय और एजेंडा-विशेष आधारित होगी'

हाल ही में, भारत के विदेश मंत्री ने **"बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन (बिम्सटेक/ BIMSTEC)"** शिखर सम्मेलन की तैयारियों से जुड़ी बैठक को संबोधित किया।

- इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विश्व व्यवस्था **मल्टीलेटरलिज्म (बहुपक्षवाद) से मिनीलेटरलिज्म** की ओर बढ़ रही है, ऐसे में **बिम्सटेक जैसे क्षेत्रीय समूहों को अधिक महत्वाकांक्षी अप्रोच अपनानी** चाहिए।

मिनीलेटरल्स क्या हैं?

- मिनीलेटरल्स ऐसे अनौपचारिक और लक्षित समूह होते हैं, जिनमें **आमतौर पर 3 या 4 देश ही सदस्य** होते हैं। ये **किसी विशिष्ट खतरे, आपात स्थिति या सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए एक साथ** आते हैं, और **कम समय में समाधान खोजने** की मंशा रखते हैं। इनके उदाहरण हैं: I2U2, ब्रिक्स, क्वाड (QUAD) आदि।

एजेंडा-विशेष मिनीलेटरल्स की बढ़ती संख्या के लिए जिम्मेदार कारक

- **मल्टीलेटरल यानी बहुपक्षीय संस्थानों की सीमाएं:** संयुक्त राष्ट्र (UN) और विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसे संस्थानों में अलग-अलग हित रखने वाले सदस्य देशों के बीच आम सहमति बनाना मुश्किल होता है।
  - इसके विपरीत, मिनीलेटरल्स में कम देश शामिल होते हैं। इससे **तेजी से निर्णय लेना और कार्यान्वयन संभव** होता है। उदाहरण के लिए- **क्वाड ने कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन वितरण में त्वरित समन्वय** दिखाया है।
- **महाशक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता:** बढ़ते तनाव के कारण बड़े मल्टीलेटरल संगठनों का संचालन बाधित हुआ है। उदाहरण के लिए- विश्व व्यापार संगठन (WTO) का विवाद निवारण तंत्र ठप पड़ गया है।
  - इससे राष्ट्र अब **'क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP)' जैसे क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौतों को प्राथमिकता** दे रहे हैं।
- **नवीन और आपात चुनौतियां:** जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा जैसे विषयों को बहुपक्षीय मंचों पर प्राथमिकता नहीं दी जा रही है।
  - इसके विपरीत, **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)** जैसे एजेंडा-विशेष संगठन विशिष्ट विशेषज्ञता और संसाधनों का प्रभावी उपयोग कर रहे हैं।

मिनीलेटरलिज्म के समक्ष चुनौतियां

- **स्थायित्व की कमी:** छोटे समूहों में एक-दूसरे पर विश्वास स्थापित करना आसान होता है, लेकिन **सरकारों के बदलने से एजेंडा पर विकास रुक** सकता है।
  - **उदाहरण के लिए:** जापान के प्रधान मंत्री शिंजो आबे के त्याग-पत्र के चलते 2007 के बाद **बहुत लंबे समय तक क्वाड पर वार्ता आगे नहीं बढ़** पाई।
- **अधिक समावेशी नहीं होना:** उदाहरण के लिए- **आसियान देशों ने AUKUS के गठन को लेकर चिंता** जताई है। इससे **क्षेत्रीय एकता खतरे** में पड़ सकती है।
- **सीमित संसाधन:** छोटे समूहों के पास जलवायु परिवर्तन या कोविड महामारी जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी संसाधन नहीं होते।

निष्कर्ष

मिनीलेटरल स्तर पर एजेंडा-विशिष्ट साझेदारी बनाने के साथ-साथ **भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) और WTO जैसे बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार के लिए भी प्रयास** करते रहना चाहिए। इससे विश्व व्यवस्था **नियम-आधारित और समावेशी** बनी रहेगी।

लोक सभा ने तटीय पोत परिवहन विधेयक, 2024 पारित किया

यह विधेयक तटीय क्षेत्रों के माध्यम से होने वाले व्यापार के लिए एक **अलग कानूनी फ्रेमवर्क** प्रदान करता है। साथ ही, इसके विनियमन के दायरे में पोत, नाव, नौकायन **पोत, मोबाइल अपतटीय ड्रिलिंग यूनिट्स** जैसे सभी प्रकार के जलयानों को ला दिया गया है।

विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर

- **तटीय व्यापार के लिए लाइसेंस:** यह भारतीय जहाजों को व्यापार के लिए लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त करता है। हालांकि, **विदेशी जहाजों को नौवहन महानिदेशालय (DGS) से लाइसेंस लेना अनिवार्य** होगा।
  - **तटीय व्यापार** से आशय भारत में एक स्थान या बंदरगाह से दूसरे स्थान या बंदरगाह तक **समुद्री मार्ग से माल या यात्रियों के परिवहन** से है।
- **रणनीतिक योजना और डेटा संग्रह:** विधेयक में **राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय पोत-परिवहन रणनीतिक योजना तथा राष्ट्रीय तटीय पोत-परिवहन डेटाबेस** बनाना अनिवार्य किया गया है।
  - राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय पोत-परिवहन रणनीतिक योजना को **प्रत्येक दो वर्षों में अपडेट** करना होगा।
- **नौवहन महानिदेशालय (DGS) के अधिकार:** DGS को **सूचना प्राप्त करने, निर्देश जारी करने और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित** करने जैसे अधिकार प्रदान किए गए हैं।
- **केंद्र सरकार का नियंत्रण:** यह विधेयक केंद्र सरकार को **नियमों में छूट देने और नियमों के अनुपालन की निगरानी करने की शक्ति प्रदान** करता है, ताकि भारत में तटीय पोत-परिवहन के संचालन को सुविधाजनक और प्रभावी बनाया जा सके।

विधेयक का महत्त्व

- यह सड़क और रेल नेटवर्क पर **यातायात की भीड़भाड़ को कम करके अंतर्देशीय जलमार्ग एवं नदियों पर निर्भर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा** देगा।
- यह विधेयक **भारतीयों के स्वामित्व वाले तटीय बेड़े (Coastal fleet) के विकास** को बढ़ावा देगा। इसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में **विदेशी जहाजों पर निर्भरता कम** होगी।
- **लॉजिस्टिक्स लागत में कमी** आएगी, **हरित परिवहन को बढ़ावा** मिलेगा, और **तटीय क्षेत्रों का प्रादेशिक विकास** सुनिश्चित होगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने परस्पर प्रशुल्क (Reciprocal Tariffs) की घोषणा की

अमेरिकी राष्ट्रपति ने **परस्पर प्रशुल्क** की घोषणा करते हुए **180 से अधिक देशों/ अर्थव्यवस्थाओं पर देश-विशिष्ट नए टैरिफ** लगाए हैं। इसमें सभी के लिए **10% का न्यूनतम टैरिफ** लागू किया गया है।

- घोषणा में **भारत पर 26% परस्पर प्रशुल्क** शामिल है। यह दर भारत द्वारा अमेरिकी आयातों पर लगाई जाने वाली दर की आधी है।
- परस्पर प्रशुल्क का उद्देश्य **उन देशों पर उच्च प्रशुल्क लगाकर व्यापार असंतुलन को दूर** करना है, जिनके साथ आयात करने वाला देश व्यापार घाटे का सामना कर रहा है।
- अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं पर लगाए गए समान परस्पर प्रशुल्क के अधीन **चीन (34%), जापान (24%), यूरोपीय संघ (20%)**, आदि हैं।

परस्पर प्रशुल्क के लिए जिम्मेदार कारक

- **पुनः औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन देना और अनुचित व्यापार पद्धतियों का प्रतिकार (Retaliation)** करना इसके प्रमुख कारण माने जा रहे हैं।
- यह **अति वैश्वीकरण और आर्थिक राष्ट्रवाद** के उदय के खिलाफ प्रतिक्रिया का एक हिस्सा है।
  - आर्थिक राष्ट्रवाद **घरेलू विनिर्माण क्षेत्रक को बढ़ावा देने, अमेरिका को फिर से समृद्ध बनाने की प्रतिबद्धता** आदि में दिखाई देता है।

आर्थिक राष्ट्रवाद

- यह एक **आर्थिक विचारधारा** है, जिसमें देश की **अर्थव्यवस्था, श्रम और पूंजी पर घरेलू नियंत्रण को प्राथमिकता** दी जाती है।
- **इसके निम्नलिखित दो रूप हैं:**
  - **विकासवाद:** इसमें राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए औद्योगिक नीति का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए- **स्वतंत्रता के बाद भारत में अपनाया गया योजनाबद्ध आर्थिक मॉडल।**
  - **व्यापारिकता या अलगाववाद:** इसके तहत प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं के माध्यम से किसी राष्ट्र की समृद्धि और शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण के लिए- **अमेरिकी प्रशासन की हालिया अमेरिका फर्स्ट नीति।**

उपराष्ट्रपति के अनुसार लोकतंत्र में शासन संचालन का अधिकार कार्यपालिका के पास है न कि न्यायालयों के पास

उपराष्ट्रपति ने कहा कि **लोकतंत्र में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत** इस बात पर बल देता है कि कार्यपालिका **संसद और जनता (चुनावों के माध्यम से) के प्रति जवाबदेह** है, न्यायालयों के प्रति नहीं।

शक्ति पृथक्करण की अवधारणा:

- यह विचार **फ्रांसीसी दार्शनिक मोंटेस्क्यू** ने दिया था। यह शासन का एक **मूलभूत सिद्धांत** है, जो किसी एक इकाई या व्यक्ति में **शक्तियों के संकेन्द्रण पर रोक** लगाता है।
  - यह सरकार के कार्यों को अलग-अलग शाखाओं, **विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका** में विभाजित करता है।

लोकतंत्र में शक्तियों के पृथक्करण का महत्त्व:

- यह अवधारणा **सत्ता को एक से अधिक केंद्रों में विभाजित करके नागरिकों को राज्य के अत्याचार से बचाने** में मदद करती है। उदाहरण के लिए- भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण** का प्रावधान करता है।
- यह सिद्धांत शासन प्रणाली में **नियंत्रण एवं संतुलन सुनिश्चित** करता है; विधायिका और न्यायपालिका को अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर कार्य करने को प्रोत्साहित करता है तथा जवाबदेही को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए- **केशवानंद भारती वाद** में शीर्ष न्यायालय ने **'मूल ढांचे का सिद्धांत'** प्रतिपादित करके **संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को सीमित** किया था।
- यह **विधि के शासन और स्वतंत्रता** को बनाए रखता है। उदाहरण के लिए- एक स्वतंत्र न्यायपालिका कानूनों की निष्पक्ष व्याख्या कर सकती है, जिससे समानता को मजबूती मिलती है।

भारत में सत्ता का पृथक्करण

- **अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली के तहत शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को सख्ती** से लागू किया गया है। इसके विपरीत, भारत में **कार्यात्मक अतिव्यापन** की अनुमति दी गई है। उदाहरण के लिए- भारत की संसदीय प्रणाली के तहत कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से ही किया जाता है।
- **स्वतंत्र कार्यप्रणाली सुनिश्चित करता है:** उदाहरण के लिए- **अनुच्छेद 122 और 212** के तहत, न्यायालयों को संसद/ राज्य विधान-मंडलों की कार्यवाही की जांच करने से प्रतिबंधित किया गया है।
- **व्यावहारिक परस्पर निर्भरता:** उदाहरण के लिए- सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

अन्य सुर्ख़ियां

समुद्री सिवार (Seaweed)

भारत में **सीवीड (समुद्री सिवार) फार्मिंग का बाजार** वर्तमान में 200 करोड़ रूपये का है। साथ ही, अगले दशक में इसके बढ़कर **3,277 करोड़ रुपये** हो जाने की संभावना है।

सीवीड क्या है?

- यह **प्रचुर पोषक तत्वों वाली समुद्री वनस्पति** है। यह महासागरों और समुद्रों में पाई जाती है।
- इसमें **54 सूक्ष्म पोषक तत्व और आवश्यक पोषक तत्व** होते हैं, जो **कैंसर, मधुमेह, गठिया, हृदय रोग और हाई ब्लड प्रेशर** जैसी बीमारियों से लड़ने में सहायक हैं।
- **सीवीड से बने प्रमुख उत्पाद**
  - **एल्जिनेट (Alginate): यह ब्राउन सीवीड** से प्राप्त नेचुरल थिकनर (गाढ़ा करने वाला) है। इसका उपयोग खाद्य, कॉस्मेटिक्स और दवाइयों में किया जाता है।
  - **अगर (Agar): यह रेड सीवीड** से प्राप्त जेली-जैसा पदार्थ है। इसका उपयोग डेजर्ट, जैम और लैब कल्चर में किया जाता है।
  - **कैरेजेनन (Carrageenan): यह भी रेड सीवीड** से प्राप्त जेलिंग एजेंट है। इसका **डेयरी और प्रोसेस्ड फूड** में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

पोप्स पिट वाइपर (Pope's Pit Viper)

एक नवीन शोध में **पोप्स पिट वाइपर के विष के असर करने के तरीके** को उजागर किया गया है।

- यह शोध **सांप के जहर की विषाक्तता (Toxicity), नई दवाइयों के विकास और असरदार एंटीवेनम के उत्पादन का मार्ग** प्रशस्त कर सकती है।
- यह शोध इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि **भारत ने 2030 तक सर्पदंश से होने वाली मौतों (Snakebite mortality) की संख्या को 50% तक कम करने का लक्ष्य** रखा है।

पोप्स पिट वाइपर के बारे में

- इसका वैज्ञानिक नाम **ट्राइमेरेसुरस पोपेओरम (Trimeresurus popeiorum)** है।
- **पर्यावास:** उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन, बांस के वन, पर्वतीय झाड़ियां तथा दलदली क्षेत्र।
- **प्राप्ति क्षेत्र:** यह सर्प प्रजाति **भारत, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और मलेशिया** में पाई जाती है।
  - भारत में यह **उत्तरी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों की मूल (नेटिव) प्रजाति** है।
- **IUCN रेड लिस्ट श्रेणी:** लीस्ट कंसर्न।

शून्य काल (Zero Hour)

3 अप्रैल, 2025 को **लोक सभा में एक नया कीर्तिमान** बना। विस्तारित शून्यकाल के दौरान 5 घंटे के अधिक समय में 202 सांसदों ने अपने क्षेत्र और लोक महत्त्व के मुद्दे उठाए।

शून्य काल के बारे में

- यह प्रश्नकाल और दस्तावेज प्रस्तुत करने के तुरंत बाद तथा किसी सूचीबद्ध विषय पर बहस शुरू होने से पहले की अवधि होती है।
- **समय:** यह दोपहर 12 बजे के आसपास शुरू होता है। इसी वजह से इसे शून्य काल कहा जाता है।
- संसदीय प्रक्रिया में इस काल को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई है।
- **मामले उठाने की प्रक्रिया:** संसद सदस्यों को उस विषय का उल्लेख करते हुए नोटिस प्रस्तुत करना चाहिए, जिसे वे उठाना चाहते हैं।
  - लोक सभा अध्यक्ष या सभापति यह तय करते हैं कि किसी मामले को उठाने की अनुमति दी जाए या नहीं।

बाकू टू बेलेम रोडमैप

भारत ने ब्रिक्स देशों से 2035 तक जलवायु वित्त-पोषण के लिए प्रति वर्ष 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने हेतु 'बाकू टू बेलेम रोडमैप' पर एकजुट होने की अपील की है। भारत के अनुसार इससे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

'बाकू टू बेलेम रोडमैप' के बारे में

- अजरबैजान के बाकू में आयोजित 'जलवायु परिवर्तन कन्वेंशन पर पक्षकारों के 29वें सम्मेलन (UNFCCC COP-29)' में इस नए वैश्विक वित्त-पोषण लक्ष्य और फ्रेमवर्क पर सहमति बनी थी। इसका उद्देश्य ब्राजील के बेलेम में आयोजित होने वाले आगामी COP-30 तक जलवायु वित्त-पोषण के लक्ष्य को बढ़ाना है।
- इस रोडमैप का उद्देश्य विकासशील देशों को कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन करने वाले और जलवायु-परिवर्तन-अनुकूल विकास पथ अपनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इससे ये देश अपने 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)' लक्ष्यों को प्रभावी रूप से लागू कर सकेंगे।

त्रिपिटक

थाईलैंड के प्रधान मंत्री ने अपनी भारत यात्रा के दौरान भारतीय प्रधान मंत्री को पाली भाषा में 'त्रिपिटक' की एक प्रति उपहार स्वरूप भेंट की।

त्रिपिटक के बारे में

- त्रिपिटिक (टोकरी) बौद्ध धर्म के प्रमुख तीन ग्रंथों का संग्रह है। ये ग्रंथ मुख्यतः पाली भाषा में है, तथा थेरवाद बौद्ध धर्म का प्रमुख आधार हैं। इन ग्रंथों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - विनय पिटक: इसमें बौद्ध संघ में शामिल होने वालों के लिए नियम और कानून सम्मिलित है।
  - सुत्त पिटक: इसमें बुद्ध के उपदेश और शिक्षाएं शामिल है।
  - अभिधम्म पिटक: इसमें दार्शनिक विषयों पर गहन विचार किया गया है और वास्तविकता की प्रकृति पर गहरी समझ दी गई है।
- थेरवाद बौद्ध धर्म: यह बौद्ध धर्म का प्राचीन पंथ है। इसके अनुयायी स्वयं को "थेरवादिन" कहते हैं, यानी वे जो पुराने और सम्मानित उपदेशकों (थेरों) के मार्ग का पालन करते हैं।

पोषण (POSHAN) ट्रैकर

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) ने घोषणा की है कि भारत के सभी आंगनवाड़ी केंद्र अब पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन पर पंजीकृत हो चुके हैं।

पोषण ट्रैकर के बारे में

- यह मोबाइल-आधारित एप्लिकेशन है। यह उपस्थिति, पोषण वृद्धि की निगरानी और पोषण सेवाओं की रियल-टाइम ट्रैकिंग में सहायता करता है।
- यह कागजी रिकॉर्ड की जगह स्वचालित (auto-generated) मासिक रिपोर्ट तैयार करता है।
- यह ऐप 24 भाषाओं में उपलब्ध है। इसे पोषण सेवा वितरण में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।
- यह मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना का हिस्सा है।
  - पोषण 2.0 योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना में 'आंगनबाड़ी सेवाएं', 'पोषण अभियान' और 'किशोरियों (14-18 वर्ष) की योजना' एकीकृत की गई है।
  - इसका उद्देश्य पूरे देश में कुपोषण से निपटना है।

राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र (NCPOR)

राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र (NCPOR) अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है।

NCPOR के बारे में

- इसका मुख्यालय गोवा में स्थित है। इसकी स्थापना 1998 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (पूर्व में महासागर विकास विभाग) के तहत की गई थी। इसे एक स्वायत्त अनुसंधान और विकास संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है।
- यह भारत का प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संस्थान है, जो ध्रुवीय और दक्षिणी महासागर क्षेत्रों में देश की अनुसंधान गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है।
  - यह भारत के अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र "मैत्री" और "भारती", तथा आर्कटिक अनुसंधान केंद्र "हिमाद्री" का संचालन करता है।
- मंत्रालय: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय।

चपाटा मिर्च

तेलंगाना की वारंगल चपाटा मिर्च या टमाटर मिर्च को GI (भौगोलिक संकेतक) टैग दिया गया है।

चपाटा मिर्च (टमाटर मिर्च) के बारे में

- अनूठी विशेषताएं:
  - इसका गहरा लाल रंग होता है और आकार गोल होता है। इस कारण यह टमाटर जैसी दिखाई देती है।
  - यह ज्यादा तीखी नहीं होती, लेकिन इसमें गंध और स्वाद बहुत अधिक होता है, क्योंकि इसमें कैप्सिकम ओलियोरेसिन नामक तत्व पाया जाता है।
- यह मुख्यतः तीन प्रकार की होती है:
  - सिंगल पत्ती;
  - डबल पत्ती; तथा
  - ओडालू।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

थाईलैंड (राजधानी: बैंकॉक)

हाल ही में, भारत और थाईलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक विस्तारित किया।

- इस अवसर पर थाईलैंड सरकार ने रामकियन (थाई रामायण) भित्ति चित्रों को दर्शाने वाला एक आईस्टाम्प भी जारी किया।

थाईलैंड के बारे में

- भौगोलिक अवस्थिति:
  - यह दक्षिण पूर्व एशिया में अवस्थित है।
  - थाईलैंड क्षेत्रीय समूहों आसियान और बिम्सटेक का सदस्य है।
  - भूमि सीमा: इसके उत्तर-पश्चिम में म्यांमार, पूर्व में कंबोडिया, उत्तर-पूर्व में लाओस, तथा दक्षिण में मलेशिया स्थित है।
  - जल निकाय: इसके दक्षिण में थाईलैंड की खाड़ी, और पश्चिम में अंडमान सागर है।
- भौगोलिक विशेषताएं:
  - प्रमुख नदियां: मेकांग, चाओ फ्राया, आदि।
  - जलवायु: उष्णकटिबंधीय मानसून।
  - प्राकृतिक संसाधन: टिन, रबर, प्राकृतिक गैस, टंगस्टन, टैंटलम, काष्ठ, आदि।

अहमदाबाद बेंगलूरु भोपाल चंडीगढ़ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे राँची